

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY



ਜਂ∘ 47] No. 47] नई दिल्ली, बृहस्पतिबार, फरवरी 6, 1997/माष 17, 1918 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 6, 1997/MAGHA 17, 1918

> रे**ल मंत्रालय** (रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1997

सा. का. िम. 59 (अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 3, धारा 4 की उपधारा (5) तथा धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (ग), (ङ), (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (प्रकिया) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (प्रकिया) संशोधन नियम, 1997 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. रेल दावा अधिकरण (प्रकिया) नियम, 1989 की अनुसूची 1 में 🗝
 - (1) क्रम सं. ८ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात :---

¹¹8 कलकत्ता (3)

पश्चिमी बंगाल अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र''।

(2) क्रम सं. 11 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :---

''11. गोरखपुर

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाओपुर, आजमगढ़, मऊ, बस्ती, सिद्धार्थनगर, मिर्जापुर, राबर्टसगंज, जौनपुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सुलतानपुर, प्रतापगढ, इलाहाबाद, वाराणसी, पीलीभीत जिले''।

(3) क्रम सं. 12 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्याएं तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थातु :--

''12, गाजियाबाद

उत्तर प्रदेश, के आगरा, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बिजनौर, मथुरा, गाजियाबाद, हरिद्वार, अलीगढ, देहरादुन, सहारनपुर जिले''

12 क. लखनऊ

क्रम सं. 11 तथा 12 के स्तंभ (3) में शामिल किए गए जिलों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश के सभी जिले।

> [सं. 95/टी. सी. (आर. सी. टी.)5-1] एच. सी. पुनिया, कार्यपालक निदेशक/लोक शिकायत

टिप्पण .—मूल नियम भारत के राजपत्र, सा. का. नि. 842 (अ), तारीख 19-9-89 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उनका सा. का. नि. 700 (अ), तारीख 26-11-91, सा. का. नि. 438 (अ), तारीख 21-4-92 सा. का. नि. 509 (अ), तारीख 15-6-94 और सा. का. नि. 270 (अ), तारीख 4-7-96 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 1997

G.S.R. 59 (E).—In exercise of the powers conferred by section 3, sub-section (5) of Section 4 and clauses (c), (e), (f) and (g) of sub-section (2) of Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989, namely:—

- 1. (1) These Rules may be called the Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 1997.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In Schedule I to the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules 1989,
 - (1) for serial No. 8 and entries relating thereto the following serial No. and entries shall be substituted, namely:—

"8 Calcutta (3) lands".

West Bengal, Union Territory of Andaman and Nicobar Is-

(2) for Serial No. 11 and entries relating thereto the following Serial No. and entries shall be substituted, namely:—

"11. Gorakhpur

Districts of Gorakhpur, Deoria, Ballia, Gazipur, Azamgarh, Mau, Basti, Siddharthanagar, Mirzapur, Robertsganj, Jaunpur, Faizabad, Gonda, Behraich, Sultanpur, Pratapgarh, Allahabad, Varanasi, Pilibhit of Uttar Pradesh".

(3) for Serial No. 12 and entries relating thereto the following Serial Nos. and entries shall be substituted, namely:—

"12 Ghaziabad

Districts of Agra, Bulandshahar, Moradabad, Bijnore, Mathura, Ghaziabad, Haridwar, Aligarh, Dehradun, Saharanpur of Uttar Pradesh.

12 A. Lucknow

All Districts of Uttar Pradesh except those included in Column (3) against Serial Nos. 11 and 12".

[No. 95/TC(RCT)5-1]

H. C. PUNJA, Executive Director/Public Grievances.

Note:—The Principal rules were publised in the Gazetted of India vide GSR 842 (E) dated 19-9-1989 and subsequently amended by GSR 700 (E) dt. 26-11-1991, GSR 438 (E) dated 21-4-1992, GSR 509 (E) dt. 15-6-1994 and GSR 270 (E) dated 4-7-1996.